



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

9

क्र. 06-2017  
12-9-17

12-9-17



III/निगरानी/रीवा/भूरा/2017/3253

- 01- हीरालाल पिता रामसेवक
- 02- लक्ष्मी कुमार पिता मोतीलाल
- 03- अच्छेलाल पिता सर्वसुख
- 04- जय बहादुर पिता सर्वसुख
- 05- हुब्बलाल पिता विश्वनाथ

सभी निवासी ग्राम मदरो, तहसील त्योंथर जिला-रीवा (म.प्र.)

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

- 01- राघवन्द्र सिंह पिता मुन्नीलाल
- 02- बेवा बेलकी पुत्री मुन्नीलाल
- 03- बेवा कैलसिया पुत्री मुन्नीलाल
- 04- रामनेवाज पिता बृजभान

सभी निवासी ग्राम मदरो, तहसील त्योंथर जिला-रीवा (म.प्र.)

.....गैरनिगरानी कर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी, तह0 त्योंथर, जिला-रीवा (म.प्र.) के राजस्व प्रकरण क्रमांक 79/अ27 अपील/2013-14 आदेश दिनांक 04.09.2017 को पारित अगली पेशी दिनांक 12.09.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959ई.

मान्यवर,

निगरानी के तथ्य:-


- 01- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि व प्रक्रिया के

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/3253

हीरालाल विरूद्ध राघवेन्द्र

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-04-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील त्योंथर जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 79/अ-27/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 04-09-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे ।</p> <p style="text-align: right;">             (बी.एम.शर्मा)            सदस्य         </p>	

